

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

सं०- 10/निजी-01-1039/2026

पटना/दिनांक-

श्री सुमन बेदी (आई०डी०-5613), सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-02, पटना का दिनांक-08.05.2026 से दिनांक-21.05.2026 तक कुल-14 (चौदह) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230, एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1280(21) दिनांक-31.07.2026 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता (दिनांक-07.05.2026 तक) के आलोक में 14 (चौदह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्री बेदी के अवकाश लेखा में कुल-125 (एक सौ पच्चीस) दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(सरफराज अहमद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1039/2026

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-PCFC/IRR/BES/2022/1851-1280(21) दिनांक-31.07.2026 एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना के पत्रांक-1215 दिनांक-25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1039/2026

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1039/2026

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-02, जल संसाधन विभाग, पटना को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1280(21) दिनांक-31.07.2026 को संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-3186 दिनांक-14.08.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1039/2026

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- श्री सुमन बेदी (आई०डी०-5613), सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-02, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1039/2026

3681

पटना/दिनांक- 17/08/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)।